कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।

संख्या–3251 / आठ–08 (2020–21)
रुद्रप्रयाग, दिनांक अप्रैल, 2022.

प्रारम्भिक अधिसूचना

भूमि अर्जन

उत्तराखण्ड राज्य मे निर्माणाधीन 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। समुचित सरकार लोक प्रयोजन हेतु निर्माणाधीन उपरोक्त परियोजना हेतु भूमि अर्जन हेतु ग्राम कलना की 0.087 है निजी नाप भूमि तकनीकी सर्वेक्षण के अनुसार अर्जन की जानी है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–30, वर्ष 2013) की धारा–11 मे विहित प्राविधानों के अनुसार ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में अर्जित की जानी वाली भूमि का धारा–4 की कार्यवाही का ग्राम कलना की 0.087 है0 भूमि में सम्मिलित प्रभावित परिवारों के सम्बन्ध में धारा–04 के तहत सामाजिक समाघात श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून से सामाजिक समाघात अध्ययन दल के सदस्यों से करवाने के उपरान्त यथा नियत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करने पर अधिनियम की धारा–11 (1) के अन्तर्गत शासन की अधिसूचना के क्रम मे अतिरिक्त भूमि अर्जन की प्रख्यापन निम्न रीति के अनुसार प्रकाशित की जाती है।

क– राजपत्र मे।

ख– दो स्थानीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र में।

ग– पंचायत, नगर पालिका तथा जिला कलेक्टर, उप खण्ड मजिस्ट्रेट तथा तहसील के कार्यालय में स्थानीय भाषा में।

घ– समुचित सरकार की वेबसाईड पर अपलोड।

ड़– प्रभावित क्षेत्रों में विहित रीति में विशेष बैठक बुलाकर सूचित करना।

लोक प्रयोजन के लिए रुद्रप्रयाग जिले मे तहसील रुद्रप्रयाग के ग्राम कलना मे 0.087 है0 भूमि उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु अपेक्षित है, जिनका सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (SIA) यूनिट द्वारा किया गया है और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित सर्वेदल द्वारा रिर्पोट प्रस्तुत की गई है, प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।) :–

सामाजिक समाघात अध्ययन के सार बिन्दु–

(1) ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना से प्रभावितों पर पड़ने वाले प्रभावः–(समाघात)

1. समाजिक समाघात के दौरान ग्राम कलना के प्रभावित परिवारो का कहना है कि रेलवे मे उनकी भूमि अधिगृहीत होने के कारण कृषि, जो कि उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, इससे उनके जीवन–यापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है एव अधिकतर प्रभावित व्यक्ति रेल लाईन परियोजना के आने से क्षेत्र एवं जनपद का विकास होना मानते हैं।
2. समाजिक समाघात के दौरान प्रभावितो का कहना है कि उनके प्राकृतिक ससाधनों जैसे–जल, जंगल, जमीन, वायु पर परियोजना का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
3. परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में परियोजना के निर्माण से प्राकृतिक जलस्रोत, पेयजल लाईन, सड़कें, चारागाह पशुशाला, सिचाई के साधन इत्यादि प्रभावित होंगे।
4. परियोजना निर्माण से जहां एक तरफ आवागमन सुगम होगा, वही दूसरी तरफ इससे प्रभावितों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
5. परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात यहां पर प्रवासी कार्यशक्ति के आने से स्थानीय लोगों के रोजगार पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है वहीं कतिपय व्यक्तियों का मत है कि, नई रेल लाईन परियोजना से प्रभावितों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
6. सुरंग आधारित परियोजना होने के कारण सुरंगों के निर्माण के दौरान निकलने वाले धूल, मिट्टी, कंकड़ पत्थर की उचित डम्पिंग जोन न बनने पर वहां के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
7. परियोजना के निर्माण से सुरंग बनने की स्थिति में उनके ऊपर बसे गांवों में भू–धंसाव की स्थिति हो सकती है।
8. परियोजना के निर्माण से सुरग बनने से वहा पर स्थित भू–जलस्रोत समाप्त हो सकते हैं।
9. योजना के निर्माण कार्य से निजी स्तर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत उनकी भूमि आने से भविष्य में उनकी जमीनों की कीमत बढ़ेगे, जिला प्रशासन को भू–माफियाओं की सक्रियता न होने की दशा में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता होगी।
10. जनपद रूद्रप्रयाग भूगर्भीय दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है, जो कि जोन–4 मे आता है, जिसमे भूकम्प जैसी आपदा आने की बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं।

(2) परियोजना से लाभः–

1. परियोजना के पूर्ण होने से जहां एक ओर आवागमन सुगम एवं सुरक्षित होगा, वहीं दूसरी ओर रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय जनता के जीवन स्तर पर सुधार होगा।
2. पलायन को रोकने में भी यह परियोजना सहायक होगी।
3. सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से इस परियोजना का बहुत ही महत्व है, जिसकी लागत एवं लाभ के आधार पर आंकलन नहीं किया जा सकता है।
4. लोकहित एवं जनकल्याण के लिये इस तरह की परियोजना को प्रारम्भ करना आवश्यक है।
5. पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहां शिक्षा, स्वाथ्य, संचार, परिवहन, रोजगार इत्यादि व्यवस्थाओं का बहुत अधिक विस्तार नहीं हो पाया जिससे यहां के लोग इन सेवाओं के लिए मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायान

करना पड़ता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह परियोजना बहुत अधिक फायदेमंद होगी।

6. ऋषिकेश से कर्णप्रयाग आने जाने के लए बस टैक्सी के माध्यम से 5 से 6 घंटे का समय लगता है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण है, वहीं रेल लाईन परियोजना के निर्माण होने से यह दूरी घट जाएगी तथा समय भी कम लगेगा एवं सुगमता से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक आना जाना हो सकेगा।

अतः मानवीय दृष्टि से इस परियोजना का बहुत ही अधिक महत्व है, जिसका कोई लागत एवं लाभ निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तावित 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना पूर्णतः लोक परियोजन की महत्वपूर्ण परियोजना है। जिससे पड़ने वाले प्रभावों को आधुनिकतम तकनीकों से कम किया जाना आवश्यक होगा।

(3) <u>समाघात कमी करने के उपायः–</u>

राज्य में निर्माणाधीन 126 कि0मी0 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उत्तराखण्ड राज्य, चीन व नेपाल जैसे अन्तराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े होने के कारण, राष्ट्रीय आपात तथा उत्तराखण्ड के हिमालयी क्षेत्रों मे आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपातग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुँचाने में अग्रणीय योगदान होगा। अर्थव्यवस्था में अन्तर्देशीय परिवहन का रेल मुख्य माध्यम है। बड़ी मात्रा मे वस्तुओं को लाने, ले जाने में अत्यन्त उपयुक्त है। इसका देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है, व्यापार करना, दृश्य दर्शन, तीर्थाटन मे अधिक आसान बनाती है, यह जीवन स्तर सुधारती है।

सामाजिक समाघात परीक्षण के पश्चात और परियोजना से प्रभावित बहुत से लोगों के मन में परियोजना के प्रति आम जन–जीवन पर परियोजना द्वारा पडने वाले सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं पर्यवरणीय समस्याओं के बारे में आशंकाएं व्यक्त की गयी हैं।

सामाजिक समाघात अध्ययन तथा जनसुनवाई मे प्राप्त समस्त सुझावो पर शतप्रतिशत अमल किया जायेगा। अपर जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला रूद्रप्रयाग के तहसील रूद्रप्रयाग के ग्राम 0.087 है0 भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता हैः–

अनुसूची संलग्न।

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखाकन कलेक्टर और उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग के कार्यालय मे किसी भी कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

समुचित सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं विनिर्दिष्ट उप जिलाधिकारी के निर्देशन में सक्षम व्यक्ति को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में

खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

प्रारम्भिक अधिसूचना हेतु अनुसूची

प्रारूप-॥

126 कि0मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-कलना में स्थित भूमि अधिग्रहण के लिए अर्जित खसरा नम्बरान का प्रस्ताव।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 में निहित प्राविधानो के अनुसार।

जनपद-रूद्रप्रयाग, तहसील-रूद्रप्रयाग, ग्राम-कलना।

क्र0 सं0	खाता संख्या	सर्वेक्षण खसरा संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	खसरे का सम्पूर्ण क्षेत्र0 है0	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र0 है0 में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमायें				फल वृक्षों की संख्या	वन वृक्षों की सं0	संरचना		विवरण
								उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम			प्रकार	कुर्सी एरिया वर्ग मी0 में	
1	43	1463	निजी नाप भूमि	कृषि	0.024	0.013	लाल सिह पुत्र धर्म सिंह आदि	1461	1464	1462	1458	-	-	-	-	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम पता वृक्षों की किस्म तथा संख्या मकान आदि संरचनाओं का प्रकार तथा स्थिति सहित प्रतिकर का पूर्ण मूल्यांकन तथा भवन का मूल्यांकन तकनीकी विभाग से कराकर प्रतिकर अंतिम रूप अधिनिर्णय समय निर्धारित किया जाएगा
2	43	1464	निजी नाप भूमि	कृषि	0.018	0.017	लाल सिह पुत्र धर्म सिह आदि	1463	1465	1462	1458	-	-	-	-	
3	43	1465	निजी नाप भूमि	कृषि	0.013	0.013	लाल सिह पुत्र धर्म सिह आदि	1464	1466	1462	1458	-	-	-	-	
4	43	1466	निजी नाप भूमि	कृषि	0.009	0.009	लाल सिह पुत्र धर्म सिह आदि	1465	1467	1462	1468	-	-	-	-	
5	43	1467	निजी नाप भूमि	कृषि	0.016	0.016	लाल सिह पुत्र धर्म सिंह आदि	1466	1469	1462	1468	-	-	-	-	
6	43	1468	निजी नाप भूमि	कृषि	0.019	0.019	लाल सिह पुत्र धर्म सिंह आदि	1465	1469	1462	1469	-	-	-	-	
योग :-					0.099	0.087										